मई, 2015 ■ मूल्य : 30 रुपए

वर्तमान साहित्य

साहित्य, कला और सोच की पत्रिका

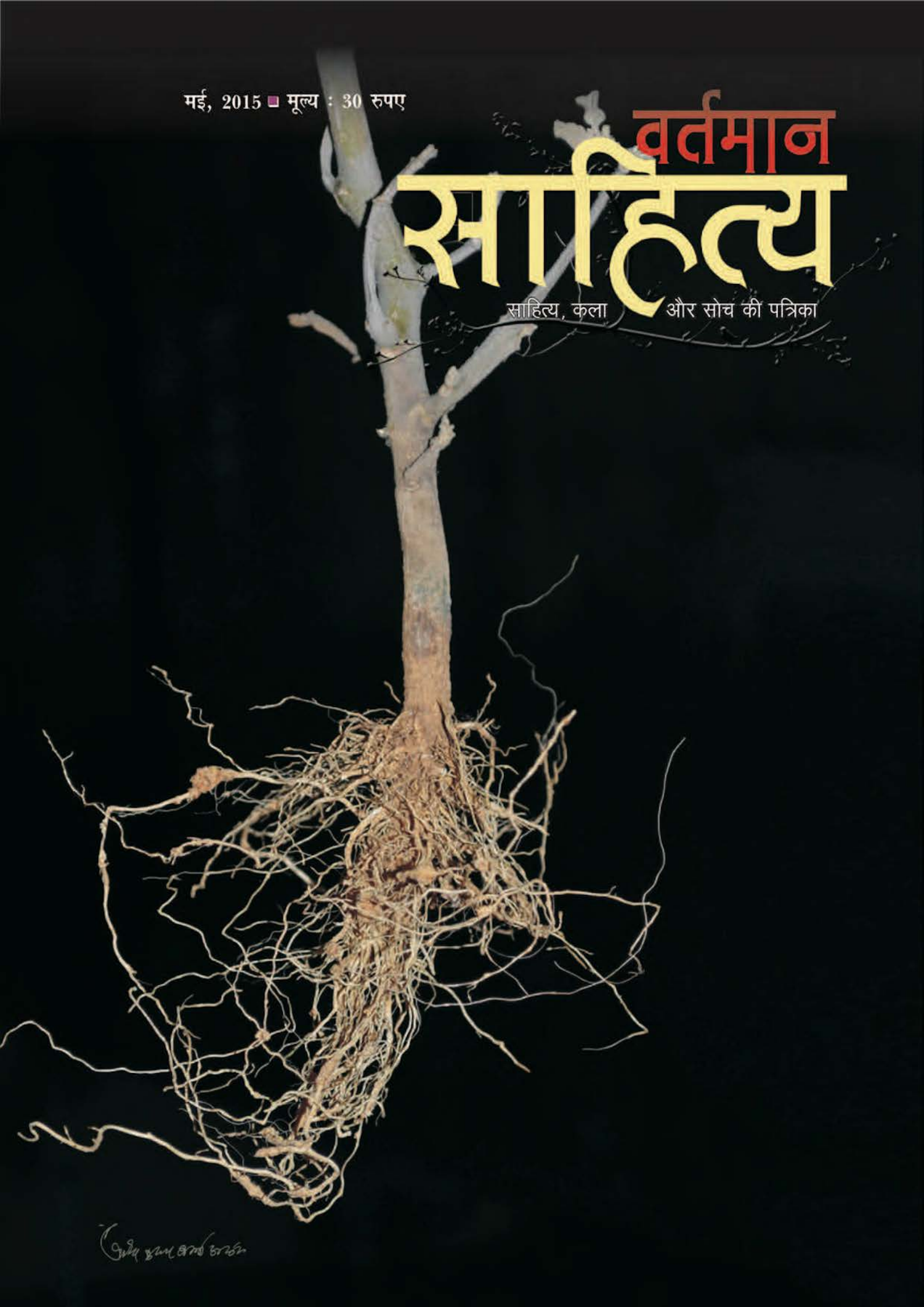

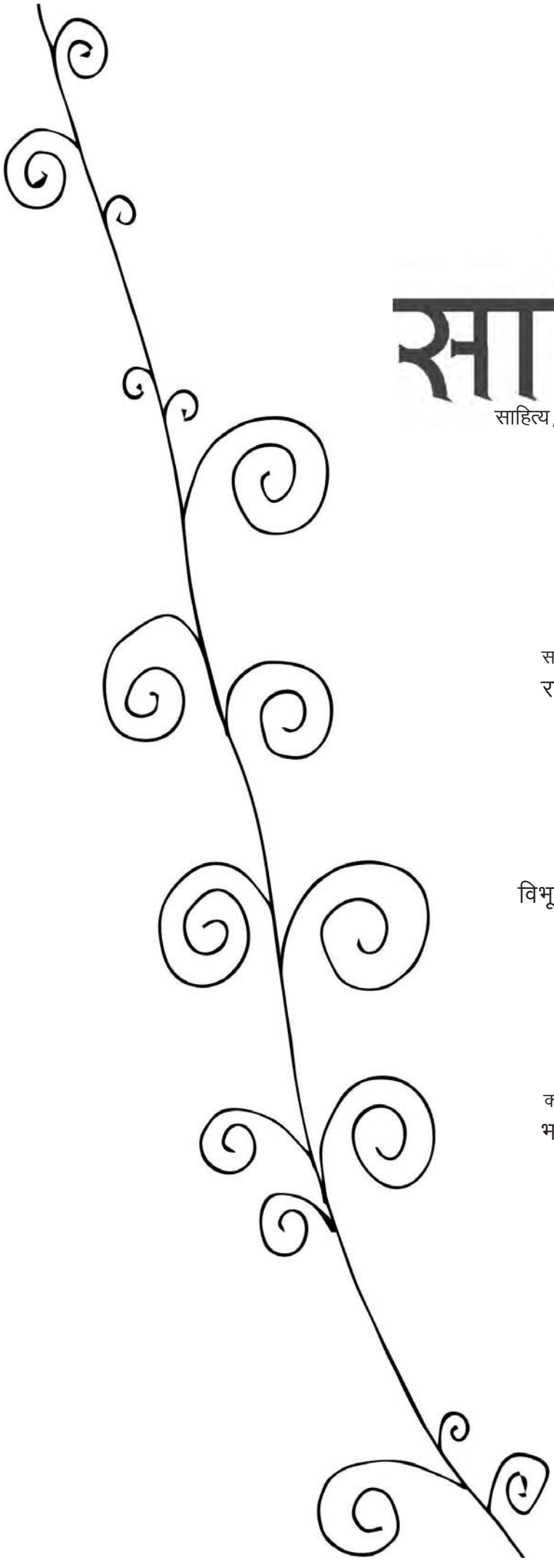

वर्तमान साहित्य

साहित्य, कला और सोच की पत्रिका

वर्ष 32 ❑ अंक 5 ❑ मई, 2015

सलाहकार संपादक
रवीन्द्र कालिया

संपादक
विभूति नारायण राय

कार्यकारी संपादक
भारत भारद्वाज

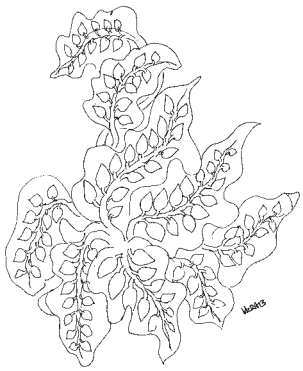

वर्ष 32 ❑ अंक 5 ❑ मई, 2015
RNI पंजीकरण संख्या 40342/83
डाक पंजीयन संख्या ए.एल.जी./63, 2013-2015

संपादकीय कार्यालय :
टी/101, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, सेक्टर-76,
नोएडा-201306 मो. 09643890121

Email : vartmansahitya.patrika@gmail.com
Website : vartmansahitya.com

कला पक्ष : भरत तिवारी
बी-67, एसएफएस फ्लैट्स, शेख सराय-1, नई दिल्ली-110017

आवरण : दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'

सहयोग राशि : एक प्रति मूल्य : 30/-; ☐ वार्षिक : 350/-;
☐ संस्थाओं व लाइब्रेरियों के लिए 500/- ☐ आजीवन : 11000/-
☐ **विदेशों में वार्षिक** : 70 डॉलर।

बैंक के माध्यम से सदस्यता शुल्क भेजने के लिए
वर्तमान साहित्य
चालू खाता संख्या : 85141010001260
IFSC : SYNB0008514,
सिंडीकेट बैंक, रामघाट रोड, अलीगढ़-202002

कृपया राशि भेजने की सूचना तत्काल ईमेल अथवा एसएमएस द्वारा ही भेजें।

सदस्यता से सम्बन्धित सारे भुगतान मनीऑर्डर/ड्राफ़्ट/चैक/बैंक के माध्यम से **वर्तमान साहित्य** के नाम से संपादकीय कार्यालय के पते पर ही भेजे जाएँ। मनीऑर्डर भेजने के साथ ही पत्र द्वारा अपना पूरा पता फोन नं. सहित सूचित करें।

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक विभूति नारायण राय की ओर से, रुचिका प्रिंटर्स, दिल्ली-110032 (9212796256) द्वारा मुद्रित तथा 28, एम.आई.जी., अवन्तिका-I, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 से प्रकाशित।

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से **वर्तमान साहित्य**, संपादक मंडल या संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। संपादन एवं संचालन पूर्णतया अवैतनिक और अव्यावसायिक।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से सहयोग प्राप्त

अंदर की बात

संपादकीय

कबिरा हम सबकी कहैं/ *विभूति नारायण राय* 3

जां निसार अख़्तर की जन्म-शताब्दी के अवसर पर

जां निसार अख़्तर : साज़े तरन्नुम से नाल-ए-मातम तक/ *प्रो. अली अहमद फ़ातमी* 5

अनुवाद (मलयाली कहानी)

शरलक/ *एम. टी. वासुदेवन नायर* / *अनु. डॉ. पी. के. राधामणि* 9

चर्चित कहानी बनाम प्रिय कहानी

पिता/ धीरेन्द्र अस्थाना 15
आत्मवक्तव्य/ धीरेन्द्र अस्थाना 22
चर्चा/ प्रियदर्शन 23

कहानी

बादल बारिश भीजनहार/ *बलराम अग्रवाल* 25
मैं भी तो इंसान हूं/ *दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'* 31
फूलों को पता है/*राजेन्द्र राजन* 36
उतरती हुई धूप/*रजनी गुप्त* 51

कविताएं

उपेन्द्र कुमार आवरण-2-3
जितेन्द्र श्रीवास्तव 48
वन्दना शर्मा 62
अशोक गुप्ता 69

स्मृति शेष

राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप के जरिए बहस पैदा करते थे गुंटर ग्रास/*शैलेन्द्र चौहान* 60

समीक्षा

उत्तर कृष्ण कथा से उठते प्रश्न/*विजय मोहन सिंह* 65
अँधेरे का उत्सवीकरण नहीं, समाजीकरण/*देवेन्द्र आर्य* 66

मीडिया

मीडिया में महिलाओं का हाशिया/*प्रांजल धर* 71

स्तंभ

तेरी मेरी सबकी बात/*नमिता सिंह* 75

सम्मति : इधर-उधर से प्राप्त प्रतिक्रियाएं 78

कबिरा हम सबकी कहैं

मार्क्सवाद और इस्लाम दो ऐसे दर्शन हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं। एक ओर जहां इस्लाम मुसलिम उम्मा की बात करता है वहीं मार्क्सवाद का सबसे बड़ा सपना ही राष्ट्र राज्य का लोप है। दोनों इस दिशा में जो कुछ नहीं कर सके उसे इंटरनेट ने पिछली शताब्दी के समाप्त होते-होते कर दिखाया। इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्र राज्य की सीमाएं टूट सी गई हैं और बिना किसी रोक-टोक के सूचनाओं का आदान-प्रदान होने लगा है। इस सिलसिले में मुझे स्वयं अपना एक अनुभव याद आ रहा है। 1990 के दशक में एक पाकिस्तानी मित्र को पत्र लिखना, यह आशा करना कि डाक उन्हें बिना सेंसर (दोनों तरफ की) मिल गई है और उसका जवाब पाना किसी अंतहीन प्रतीक्षा सा लगता था। इंटरनेट ने आते ही एक झटके से सारी बाधाएं समाप्त कर दी हैं और अब एक क्लिक मात्र से कोई पत्र सीमा पार चला जाता है। राष्ट्र राज्यों के सारे कानून, पुलिस और सीमाएं धरी की धरी रह जाती हैं। विकीपीडिया, यू-ट्यूब या फेसबुक जैसे माध्यमों ने ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त करने, उनका वितरण करने अथवा उनमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ने-घटाने के अनंत अवसर हमें उपलब्ध करा दिए हैं।

इंटरनेट की व्यापकता के साथ नेट न्यूट्रैलिटी की एक सर्व स्वीकृत परिभाषा भी विकसित हुई है जिसके अनुसार सरकारों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर आने वाली सभी सूचनाओं के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए और इस्तेमाल करने वालों तक उसे बिना किसी भेदभाव के पहुंचने देना चाहिए। नेट न्यूट्रैलिटी की यह परिभाषा कोलंबिया विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाने वाले प्रो. टिम.वू. ने 2003 में दी थी। इसके तहत हर तरह की सर्फिंग के लिए समान गति होनी चाहिए अर्थात किसी एप्लीकेशन अथवा साईट पर जाने के लिए आपकी रफ्तार सेवा प्रदाता द्वारा तेज या धीमी नहीं की जा सकती है। उपलब्ध डेटा पर जरूर कॉपीराइट धारक का अधिकार होता है अत: उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ सकता है। मेक्सिको, नीदरलैंड, ब्राजील और अमेरिका जैसे कुछ मुल्कों ने तो इस संबंध में कानून भी बना दिए हैं।

ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की सरकारों ने सहज भाव से इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। उपरोक्त कुछ देशों को छोड़ कर लगभग हर सरकार अपने नागरिकों को ऐसी सूचनाओं से वंचित करने का प्रयास करती है जो उसके खिलाफ जाती है। हमारे पड़ोस में ही चीन और पाकिस्तान दोनों ने यू-ट्यूब पर रोक लगा रखी है। मुझे याद है 2010 में चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता ल्यू ज़ियाबो को शान्ति का नोबल सम्मान मिला था। सम्मान घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद मैं बीजिंग में था और मुझे यह जानकर बड़ी हैरत हुई कि बीजिंग विश्वविद्यालय के जिन छात्रों से मैं मिला उनमें से किसी को भी इस सम्मान की कोई जानकारी नहीं थी। कारण समझने में बहुत दिक्कत नहीं आई क्योंकि होटल के कमरे में अपने लैपटॉप पर काम करते हुए मुझे अहसास हुआ कि इंटरनेट पर वे सभी साइट्स जिनसे यह सूचना नागरिकों को मिल सकती थी, उपलब्ध नहीं थे। स्पष्ट था कि सरकार ने उन पर रोक लगा रखी थी। पाकिस्तान में यू-ट्यूब पर प्रतिबंध तो कार्यपालिका की पहल के अलावा अदालती आदेशों के तहत भी लगाए जाते रहे हैं। भारत में भी हाल के वर्षों में यह असहिष्णुता बढ़ी है और इसके फलस्वरूप कई मामलों में तो फेसबुक पर टिप्पणीकारों को जेल भी जाना पड़ा है। बाल ठाकरे के निधन के अवसर पर दो महिलाओं—शाहीन और रेनू—को सिर्फ इस कारण जेल की हवा खानी पड़ी कि उन्होंने फेसबुक पर उनकी मृत्यु के बाद आयोजित बंद को लेकर सहज भाव में कुछ टिप्पणियां कर दी थीं। हाल ही में रामपुर के एक कम उम्र के बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश के ताकतवर मंत्री आजम खान पर कुछ ऐसा लिख दिया था जो उन्हें नागवार लगा और मंत्री को खुश करने के लिए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। काफी जद्दोजहद के बाद बेचारा जमानत पर बाहर आ सका।